

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1**  
**संख्या- 03/2020/ 452 /80-1-2020-600(22)/2002 टी0सी0-11**  
**लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2020**

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

**उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020**

- संक्षिप्त नाम** 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी ।  
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
- नियम 58-क का संशोधन** 2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 58-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) यथास्थिति भण्डार गृह, साइलो, शीतगृह या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण क्षमता अन्यून पांच हजार टन की हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा-7(क)(1) के अधीन प्रपत्र-तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।	(1) यथास्थिति भण्डार गृह/साइलो/शीतगृह/ या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण इकाई क्षमता अन्यून चार हजार टन या प्रसंस्करण क्षमता अन्यून दस टन प्रतिदिन हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा-7(क)(1) के अधीन प्रपत्र-तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह तथा साइलो, जो भण्डागार विकास तथा विनियामक प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत हों, और निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई, जो निदेशक,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	<p>उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेन्स प्राप्त हों, के स्वामी को राज्य सरकार द्वारा यथाविहित प्रपत्र तेरह (क) में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।</p> <p>अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह/साइलो, विवरण संलग्न करके संयुक्त रूप से और निजी क्षेत्र के शीतगृह/साइलो, जो प्रपत्र तेरह (क) में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का लाइसेन्स धारण करते हों, के स्वामी, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को आवेदन कर सकते हैं।</p>
<p>(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रुपये और बीस वर्ष के लिये बीस हजार रुपये होगा और पाँच लाख रुपये की प्रतिभूति भी प्रस्तुत करनी होगी।</p>	<p>(2) ऐसे आवेदन के लिये शुल्क, न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिवर्ष दो हजार रुपये अथवा बीस वर्ष के लिये बीस हजार रुपये होगा।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि आवेदक वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुल्क मुक्त होगा।</p> <p>अग्रतर प्रतिबंध यह है कि केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह के भण्डारगृह/साइलो, आवेदन शुल्क से मुक्त होंगे।</p>
<p>(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता की जांच करेगा और उसे ऐसे अभिलेख को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये सिफारिश कर सकता है।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों का सत्यापन करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।</p>	<p>(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता को सत्यापित करेगा और उसे ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निदेश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये संस्तुति कर सकता है।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी समूह तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लाइसेंस प्राप्त निजी क्षेत्र के शीतगृह एवं प्रसंस्करण इकाई के स्वामी को छोड़कर अन्य आवेदकों का सत्यापन करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है।</p> <p>अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मण्डी उप स्थल का आवेदन मण्डी उप स्थल घोषित करने के लिये उपयुक्त नहीं है तो इस प्रयोजनार्थ आवेदक को सुनवाई</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<p>प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक का मामला, मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने हेतु सिफारिश किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, तो आवेदक को इस प्रयोजनार्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।</p>	<p>का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।</p>
<p>(4)मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को संबंधित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा ।</p>	<p>(4)मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, अढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को संबंधित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा ।</p>
	<p>(5)निदेशक, मण्डी परिषद्, मण्डी उपस्थल की घोषणा के तत्काल पश्चात् मण्डी उपस्थल के स्वामी/आवेदक तथा अन्य लाइसेन्सधारियों के लिए प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं तथा गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् के पोर्टल पर प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और दैनिक संव्यवहार तथा मण्डी शुल्क से संबंधित सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।</p> <p>अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी उप स्थल के स्वामी/लाइसेंसधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा विहित किये गये प्रारूप में दैनिक संव्यवहार, स्टॉक तथा अधिसूचित वस्तुओं की बहिर्गामी मात्राओं तथा अन्तिम अतिशेष से संबंधित सूचना को अनुरक्षित करना होगा ।</p>

**नियम 58-ख** 3- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 58-ख के स्थान पर का संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-1</b> <b>विद्यमान नियम</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>स्तम्भ-2</b> <b>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</b></p>
<p>(1)कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल,/ मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थायी गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा ।</p>	<p>(1)कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हो, जो मुख्य मण्डी स्थल,/ मण्डी उपस्थल/उप मण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल के बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थायी गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाएं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप में कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद क्रय करने का इच्छुक हो, धारा 7 (ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा ।</p>
<p>(2)आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम जापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा ।</p>	<p>(2)आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक-विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी आस्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम जापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा ।</p>
<p>(3)सीधे विपणन के लिये प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रुपये की प्रतिभूमि सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रुपये प्रति वर्ष या 10,000 रुपये बीस वर्षों हेतु होगा ।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा ।</p>	<p>(3)सीधे विपणन के लिये, प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रुपये की प्रतिभूति सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रुपये प्रति वर्ष या दस हजार रुपये बीस वर्षों हेतु होगा ।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा ।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषक सहकारी समूह और कृषक उत्पादक</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	संगठन, उपरोक्त शुल्क तथा प्रतिभूति से मुक्त होंगे
(4)आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।	(4)आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।
(5)निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है ।	(5)निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह-क में लाइसेन्स स्वीकृत कर सकता है ।
(6)लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा ।	(6)लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद् को देगा ।
	<p>6 (क) निदेशक, कृषि विपणन द्वारा सीधे विपणन करने का लाइसेंस जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् निदेशक, मण्डी परिषद् प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 9 की सुविधाएं, और गेट पास आदि जारी करने, और मण्डी परिषद् पोर्टल में प्रवेश करने की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा। दैनिक संव्यवहार एवं मण्डी शुल्क संबंधी सूचना, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को निरीक्षण करने के समय आनलाइन प्रवेश के रूप में प्रदान की जायेगी ।</p> <p>अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे विपणन के लाइसेन्सधारी को निदेशक, कृषि विपणन द्वारा यथाविहित प्रारूप में अधिसूचित वस्तुओं के दैनिक संव्यवहार, स्टॉक, बहिर्गामी मात्राओं एवं अन्तिम अतिशेष सम्बन्धी सूचना अनुरक्षित करनी होगी और मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी ।</p>

**आज्ञा से,  
डा० देवेश चतुर्वेदी  
प्रमुख सचिव ।**

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या- 03 /2020/ 452(1)/80-1-2020, तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन ।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन
- 4- प्रमुख सचिव, सहकारिता/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य एवं रसद/कृषि विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 5- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, लखनऊ ।
- 6- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ ।
- 7- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 30प्र0, लखनऊ ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 10- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद दिनांक 23 अप्रैल, 2020 की प्रति सहित आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड में प्रकाशनार्थ । कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें ।
- 11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह  
विशेष सचिव ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।